EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos.501—506

Dated 20-5-2006

## संसदीय कार्य मंत्रालय

## MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2006

**सा.का.नि. 112.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संसदीय कार्य मंत्रालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1963 जहां तक उनका संबंध हिंदी अनुवादक श्रेणी-1 के पद से है को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है संसदीय कार्य मंत्रालय में हिंदी अनुवादक श्रेणी-1 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसदीय कार्य मंत्रालय में हिंदी अनुवादक श्रेणी-1 भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होगें, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताए और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : यह व्यक्ति, --

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| द का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. हिंदी अनुवादक श्रेणी-1 | 1* (एक) (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अनुसचिवीय | 5500-175-9000 रु. | चयन | लागू नहीं होता |

| सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | नहीं | प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष |

| **भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा |
|---|---|
| 11 | 12 |
| प्रोन्नति न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । | **प्रोन्नति :**<br>5000-8000 रुपए के वेतनमान में ऐसे हिंदी अनुवादक श्रेणी-2 जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।<br>**टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रक सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।<br>**प्रतिनियुक्ति :**<br>केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी,–<br>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या |

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000—8000 रुपए के वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं:-

**आवश्यक :**

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी/हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री, सहित अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम हिंदी/अंग्रेजी रही हो; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री सहित हिंदी/अंग्रेजी माध्यम हो और अंग्रेजी/हिंदी अनिवार्य/ वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रही हो; या

(ii) हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स और विपर्ययेन केन्द्रीय/राज्य सरकार कार्यालय, पब्लिक सेक्टर उपक्रम में हिंदी से अंग्रेजी विपर्ययेन में अनुवाद कार्य में दो वर्ष का अनुभव।

(ग) हिंदी फोन्ट्स के साथ कंप्यूटर पर कार्य करने की दक्षता।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|
| 13 | | 14 |
| **समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :–** | | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है (इन नियमों के किसी उपबंध का संशोधन करने के के लिए या उसे शिथिल करने के के लिए)। |
| 1. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय | – अध्यक्ष | |
| 2. उप सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय | – सदस्य | |
| 3. किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या उससे ऊपर की पंक्ति का कोई नाम निर्देशिती | – सदस्य | |

[फा. सं. 4(1)/2002–प्रशा.]

पी. एस. मल्होत्रा, अवर सचिव

**टिप्पण :** नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1850, तारीख 29 नवंबर, 1963 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् समय-समय पर संशोधित किए गए । अंतिम संशोधन हिंदी अनुवादक श्रेणी-I, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1048, तारीख 22-09-1973 द्वारा किए गए ।